



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2019/श्रावण 23, 1941

No. 241]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2019/SHRAVANA 23, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2019

सं. 25/2015—2020

विषय: प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.12 (vi) में संशोधन और प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 में परिशिष्ट 4त को जोड़ने के संबंध में।

फा.सं. 01/94/180/34/ए.एम. 20/पीसी-4.-समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

1. प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 का मौजूदा पैरा 4.12 (vi) (सार्वजनिक सूचना सं. 64, दिनांक 27.12.2018 द्वारा यथा संशोधित) निम्नानुसार पढ़ा जाता है:-

"पैरा 4.07 के तहत प्राप्त किए गए किसी भी अग्रिम प्राधिकार पत्र के संबंध में दिनांक 01.04.2015 को अथवा इसके बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय में किसी भी मानदंड समिति (एन सी) द्वारा अनुसमर्थित मानदंड विदेश व्यापार नीति की संपूर्ण अवधि अर्थात् दिनांक 31.03.2020 तक अथवा इस अनुसमर्थन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि, जो भी बाद में हो, के लिए वैध होंगे। चूंकि मानदंड समितियों के सभी निर्णय डीजीएफटी की वेबसाइट पर कार्यवृत्त के रूप में उपलब्ध हैं, अग्रिम प्राधिकार पत्र के सभी अन्य आवेदक इन मानदंडों की वैधता अवधि के दौरान पुनरावृत्ति के आधार पर ऐसे अनुसमर्थित मानदंडों के आधार पर अपने प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन करने और प्राप्त करने के लिए भी पात्र हैं।"

प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के संशोधित पैरा 4.12 (vi) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

"पैरा 4.07 के तहत प्राप्त किए गए किसी भी अग्रिम प्राधिकार पत्र के संबंध में दिनांक 01.04.2015 को अथवा इसके बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय में किसी भी मानदंड समिति (एन सी) द्वारा अनुसमर्थित मानदंड विदेश व्यापार नीति की संपूर्ण अवधि अर्थात् दिनांक 31.03.2020 तक अथवा इस अनुसमर्थन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि, जो भी बाद में हो, के लिए वैध होंगे। चूंकि मानदंड समितियों के सभी निर्णय डीजीएफटी की वेबसाइट पर कार्यवृत्त के रूप में उपलब्ध हैं, अग्रिम प्राधिकार पत्र के सभी अन्य आवेदक इन मानदंडों की वैधता अवधि के दौरान पुनरावृत्ति के आधार पर ऐसे अनुसमर्थित मानदंड के आधार पर अपने प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन करने

और प्राप्त करने के लिए भी पात्र है। यह पैरा परिशिष्ट 4त के अंतर्गत सूचीबद्ध मदों हेतु आवेदन किए गए प्राधिकार पत्रों के लिए लागू नहीं है।”

2. प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 में एक नया परिशिष्ट सं. 4त जोड़ा जाता है।

परिशिष्ट 4त

(सार्वजनिक सूचना सं. 64 दिनांक 27.12.2018 के दायरे से बाहर की जाने वाली मदें)

क्र.सं.	आयात मद का नाम	चार अंकों का आईटीसी एचएस
1.	काजू किसी भी रूप में	0801
2.	विदेश व्यापार नीति के तहत सभी प्रतिबंधित/निषिद्ध मदें	यथा लागू
3.	विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 4.11 के अंतर्गत आने वाली मदें	यथा लागू
4.	परिशिष्ट 4अ के तहत पूर्व आयात शर्तों के अंतर्गत आने वाली मदें	यथा लागू

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: परिशिष्ट 4त के अंतर्गत आने वाली मदों को हटाने के लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.12(vi) को संशोधित किया जाता है। परिशिष्ट 4त को अधिसूचित किया जाता है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी
महानिदेशक, पदेन सचिव,

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 14th August, 2019

Notice No. 25/2015-2020

Subject: Modification of Para 4.12(vi) of HBP and addition of Appendix 4P to Hand Book of Procedures 2015-20 – reg.

F.No. 01/94/180/34/AM 20/PC-4.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade makes the following amendments in Hand Book of Procedures 2015-2020:

1. The current Para 4.12(vi) of HBP 2015-20 (as amended vide Public Notice 64 dt. 27.12.2018) reads as under:-

"Norms ratified by any Norms Committee (NC) in the O/o DGFT on or after 01.04.2015 in respect of any Advance authorization obtained under paragraph 4.07, shall-be valid for the entire period of the Foreign Trade Policy *i.e.* up to 31.3.2020 or for a period of three years from the date of ratification, whichever is later. Since all decisions of the Norms Committees are available in the form of minutes on the DGFT website, all other applicants of Advance Authorization are also eligible to apply and get their authorizations based on such ratified norms on repeat basis during validity of these norms."

The amended Para 4.12(vi) of HBP 2015-20 to be read as under:

"Norms ratified by any Norms Committee (NC) in the O/o DGFT on or after 01.04.2015 in respect of any Advance authorization obtained under paragraph 4.07, shall-be valid for the entire period of the Foreign Trade Policy *i.e.* up to 31.3.2020 or for a period of three years from the date of ratification, whichever is later. Since all decisions of the Norms Committees are available in the form of minutes on the DGFT website, all other applicants of Advance Authorization are also eligible to apply and get their authorizations based on such ratified norms on repeat basis during validity of these norms. **This para is not applicable for authorisations applied for items listed under Appendix 4P.**"

2. A new appendix 4P is added in Handbook of Procedures 2015-20.

Appendix 4P**(Items to be excluded from the purview of Public Notice No. 64 dated 27.12.2018)**

Sl. No.	Import Item Name	ITC HS at four digits
1.	Cashew in any form	0801
2.	All Restricted/Prohibited Items under the FTP	as applicable
3.	Items covered under Para 4.11 of FTP 2015-20	as applicable
4.	Items covered under pre-import conditions under Appendix 4J	as applicable

Effect of this Public Notice: Para 4.12(vi) of HBP modified to exclude items falling under Appendix 4P. Appendix 4P notified.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI
Ex-officio Addl. Secy.